

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (भीलवाड़ा)

रमेश पुरी पिता शंकर पुरी जाति गोसाई निवासी-पीपलून्द

बनाम

कृष्ण गोपाल पिता मांगीलाल पारीक वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल.आर.ए. मुकदमा नं. 672/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
21.6.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द, तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.न. 13/34 रकबा 0.6475, आराजी नं. 3158/2833 रकबा 1.4650, आराजी संख्या 436 रकबा 0.1700, आराजी संख्या 441 रकबा 0.2914, आराजी संख्या 1918/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111/128 रा.ले. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द, तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.न. 13/34 रकबा 0.6475, आराजी नं. 3158/2833 रकबा 1.4650, आराजी संख्या 436 रकबा 0.1700, आराजी संख्या 441 रकबा 0.2914, आराजी संख्या 1918/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

De
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 672 / 2023

दिनांक :- 21.6.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 672/23 अनवान रमेश पुरी पिता शंकर पुरी जाति गोसाई निवासी-पीपलून्द तहसील-जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा बनाम कृष्ण गोपाल पिता मांगीलाल पारीक, सोराज पिता भूरा पुरी, लाली पत्नि हरचन्द गुर्जर, कृष्ण गोपाल पिता हरदेव मीणा निवासी-पीपलून्द तहसील-जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.न. 13/34 रकबा 0.6475, आराजी नं. 3158/2833 रकबा 1.4650, आराजी संख्या 436 रकबा 0.1700, आराजी संख्या 441 रकबा 0.2914, आराजी संख्या 1918/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)